



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

पी०एम०जी०एस०वाई, सि०ख०, पुरोला (उत्तरकाशी)

Office of the Executive Engineer PMGSY, I.D. Purola (Uttarkashi)

E-Mail : eepmgspurola@rediffmail.com

Tel.No. : 01373-223730

पत्रांक 66 / पी०एम०जी०एस०वाई०/सि०ख०/

दिनांक 24/02/2018

सेवामें,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर युमना वन प्रभाग
बडकोट।

विषय:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सिमलसारी से गैर मोटर मार्ग निर्माण हेतु 4.165 है० वनभूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु पी०एम०जी०एस०वाई०, पुरोला को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक 2057/12-1 दिनांक बडकोट फरवरी 08, 2018।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि इस खण्ड के अन्तर्गत सिमलसारी से गैर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/11303/2015 में लगाई गई ई०डी०एस० क्वेरी में बिन्दु सं० 05 का निराकरण आपके स्तर से किया जाना है तथा बिन्दु सं० 06 पार्ट-4 एवं 5 नोडल एवं राज्य सरकार स्तर से निराकरण किया जाना है। शेष अन्य बिन्दुओं 01, 02, 03, एवं 04 में लगाई गई आपत्तियों का निराकरण बिन्दुवार निम्नानुसार है एवं हार्ड प्रति भी इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है-

क्र०सं०	आपत्ति	निराकरण
1	At part A-3 (xvii) online Part-I the letter uploaded is not correct.	Part-I para A-3(Xvii) में संशोधित प्रपत्र अपलोड कर ऑनलाईन कर दिया गया है।
2	A part D (i) instead of justification for locating the project in forest area the letter pertaining to alternative exammend is uploaded	part-I para D (i) में प्रोजेक्ट जस्टिफिकेशन से सम्बन्धित संशोधित प्रपत्र ऑनलाईन किये जा चुके हैं।
3	The employment details furnished ar para-E (ii) &(iii) are not corrected.	part-I para E(ii) & (iii) में एम्पलायमेन्ट डिटेल में संशोधन कर ऑनलाईन किया जा चुका है।
4	In the VLC proceeding the name of five villages written at the top of the proceeding but in seened para of the proceeding only Gair Village is written.	Part-I VLC proceeding पैरा में समस्त संशोधित प्रपत्र गठित कर ऑनलाईन किये जा चुके हैं।
5	In online part-II para 4 (i) the density mentioned 0.7 appears to be incorrect in new of trees ha proposed to be felled i.e. 18 tree/ha	यह आपत्ति part-II para 4 जो कि डी०एफ०ओ० स्तर की है। जिसका निराकरण उन्ही के स्तर से किया जाना है।
6	Part_IV & V are not found in the proposal.	यह आपत्ति part-IV & V जो कि क्रमशः नोडल एवं राज्य सरकार स्तर की है। जिसका निराकरण उन्ही के स्तर से किया जाना है।

संलग्नक - उपरोक्तानुसार

Anil Singh
अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, सि०ख०
पुरोला (उत्तरकाशी)



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई, सि०ख०, पुरोला

Office of the Executive Engineer PMGSY, I.D. Purola (Uttarkashi)

E-Mail : eepmgsypurola@rediffmail.com

Tel.No. : 01373-223730

पत्रांक- १६६ / पी०एम०जी०एस०वाई० / सि०ख० /

दिनांक २१ / ११ / २०१५

कार्यालय ज्ञाप

इस खण्ड में कार्यरत श्री सुमित जगूडी, कनिष्ठ अभियन्ता, को इस खण्ड से सम्बन्धित वनभूमि प्रस्ताव अपलोड / सम्बन्धित प्रत्यावर्तन ऑन लाईन किये जाने का दायित्व सौंपा जाता है।

अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड
पुरोला

पत्रांक / पी०एम०जी०एस०वाई० / सि०ख० / पुरोला / तदिनांक

प्रतिलिपि- श्री सुमित जगूडी, कनिष्ठ अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई०, सि०ख० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड
पुरोला

Justification

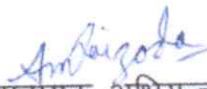
कार्य का नाम :- पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत में जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव में प्रस्तावित सिमलसारी से गैर मोटर मार्ग मोटर मार्ग का नव निर्माण में स्वीकृत एवं वैकल्पिक समरेखणों के सम्बन्ध में स्थलीय विवरण निम्नवत है।

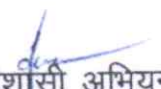
स्वीकृत समरेखण/समरेखण संख्या 1:- वन भूमि प्रस्ताव में संलग्न मानचित्र में लाल रंग से दर्शाया गया है। यह समरेखण सिमलसारी से शुरू होकर दारसों होते हुए गैर तक समाप्त होता है। इस समरेखण पर न्यूनतम नाप भूमि पड़ रही, और ग्राम सिमलसारी, दारसो एवं गैर नजदीक से लाभान्वित हो रहे हैं। इस समरेखण पर मार्ग निर्माण की लागत भी कम आ रही है, व इस समरेखण में भूगर्भीय वैज्ञानिक व क्षेत्रीय जनता की सहमति प्राप्त है, और सक्षम अधिकारी से भी अनुमोदित है।

वैकल्पिक समरेखण/समरेखण:- मानचित्र में हरे रंग से दर्शाया गया है। यह समरेखण समरेखण संख्या 1 की तरह सिमलसारी से शुरू होकर दारसों गांव होते हुये गैर तक समाप्त होता है। मार्ग के इस समरेखण पर आरक्षित वन भूमि अधिक आ रही है। जिससे वृक्षों की संख्या समरेखण संख्या 1 की अपेक्षाकृत अधिक आ रही है, व वन सम्पदा की अधिक से अधिक क्षति हो रही है। और इस समरेखण में मार्ग की लागत बहुत अधिक आ रही है तथा इस समरेखण में ग्रामीणों की नाप भूमि भी अधिक आ रही है, व इस ग्रामवासियों की भी सहमति प्राप्त नहीं हुई है।

उपरोक्तानुसार स्वीकृत समरेखण संख्या 1 सभी दृष्टि से उचित है इसी समरेखण पर वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित किया गया है।

अतः मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पर स्वीकृत प्रदान करने की कृपा करें।


सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड लो0नि0वि0
उत्तरकाशी


अधीशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड लो0नि0वि0
उत्तरकाशी